नं.आयकर निदेशक/क्षे.प्र.सं/एस.एफ 45/2011-12 दिनांक:18 जनवरी 2012

<u>निविदा सूचना</u>

प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान,चेन्नै के निदेशक के कार्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों पर मासिक किराये पर गाडी उपलब्ध कराने के लिए मुहरबंध लिफाफा में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है ।

गाडी की किस्म & माडल	आवश्यक संख्या	मईलेज लगभग	समय निर्धारण		करार की अवधि
जैलो, स्कोरपियो 'टवेरा' आदि(8 सीटर) जैसे मध्यम आकार के(2012 से पुरानी न हो)	2	2000 कि.मीटर प्रति महीना	300 धंटे प्रति महीना	रू.36,000/- प्रति महीना से ज्यादा न हो	एक गाडी I.3.2012 से 28.02.2013 (12 महीने) तक दूसरी गाडी 1.4.2012 से 28.2.2013 (11 महीने)
लघु आकार के – सेडान जैसा (2012 से पुरानी न हो)	2	2000 कि.मीटर प्रति महीना	300 धंटे प्रति महीना	-	I.3.2012 से 28.2.2013 तक (12 महीने)
छोटे आकार के(2012 से पुरानी न हो)	1	2000 कि.मीटर प्रति महीना	300 धंटे प्रति महीना	रू.24,000/- प्रति महीना से ज्यादा न हो	1.4.2012 से 28.2.2013 तक (11 महीने)

1. गाडी की स्थिति अच्छी और साफ सुथरी हो और यांत्रिक दुरुस्त हो । **<u>(जिस दिन निविदा खोली जाती है उस दिन जॉच के लिए गाडी को दफतर में लाना होगा । उस दिन यदि गाडी नहीं लाया गया हो या गाडी की स्थिति अच्छी न</u>**

<u>हो तो निम्न दर कोट करने के बावजूद उसे खारिज किया जाएगा)</u> प्राथमिकता उसी सेवा पूर्तिकर्ता को दी जाएगी जिसकी अपनी गाडी हो ।

2. सेवा पूर्तिकर्ता को दोनों मध्यम आकार और छोटे आकार की गाडियों का व्यवस्था करना होगा । संयुक्त रूप से निम्न दर पर ही विचार किया जाएगा ।
3. सेवा पूर्तिकर्ता द्वारा भाडे पर दी गई गाडी ड्राइवर के पास होगी जो साफ-सुथरे और उपयुक्त वर्दी में पेश होंगे ।
4. ड्राइवर उचित और साफ़ वर्दी में हो, उसे हमेशा अपने साथ अपना लाइसेंस और बैड्ज रखना होगा।
5. ड्राइवर शिक्षित हो, उसका आचरण अच्छा हो और यातायात से संबंधित सभी सरकारी नियम और विनियम का पालन करनेवाला हो । नशे में धुत होकर गाडी चलाना सक्त मना है।
6. <u>ड्राइवर हिन्दी, तमिल और अंग्रेजी भाषा समझनेवाला हो और इन भाषाओं में जवाब देनेवाला भी हो । जिस दिन निविदा खोली जाती है उस दिन ड्राइवर को दफतर में ले आएं ताकि उसके भाषा संबंधी समझदारी का पता लगाया जा सकें।</u>
7. प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में ड्राइवरों को काम पर रखने के पूर्व सेवा पूर्ती कर्ता उनके प्रत्यायक, पूर्ववृत्त और चरित्र को जाँच और सत्यापन करें।
8. सेवा पूर्ती कर्ता इस बात को सुनिशिचत करें कि गाडी को हमेशा वही ड्राइवर चलाएँ और किसी भी कारण से इस व्यवस्था में फेरबदल न हो । संबंधित महीने के भुगतान पर विचार किए बिना ड्राइवर के वेतन हर महीने के सात तारीख तक करना भी सुनिश्चित हो ।
9. अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए ड्राइवर के पास मोबइल हो । मासिक दर सहित उस पर होनेवाले खर्च सेवा पूर्तिकर्ता को चुकाना होगा ।
10. वाहन के लिए ईंधन, बीमा, सब प्रकार का मरम्मत और रख-रखाव संबंधी खर्च की जिम्मेदारी सेवा-पूर्तिकर्ता का होगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि हर ट्रिप को पूरा कर लेने के लिए गाडी में पर्याप्त ईंधन हो ।
11. किसी भी दुर्धटना की स्थिति में उत्पन्न सभी दावों का निपटारा सेवा पूर्तिकर्ता को करना होगा । गाडी और ड्राइवर की बीमा की व्यवस्था सेवा-पूर्तिकर्ता को संभालना होगा।
12. सुलभ की गई गाडी में खराबी आ गई तो सेवा पूर्तिकर्ता को तुरंत वैकल्पिक गाडी की व्यवस्था करनी होगी ।

13. यदि सेवा पूर्तिकर्ता वैकल्पिक गाडी नहीं दे पाते तो उनके मासिक भुगतान से मध्यम आकार की गाडी और लघु आकार की गाडी के लिए क्रमशः रु.4000/- और रु.3000/- की रकम की प्रतिदिन की हिसाब से कटौती की जाएगी ।
14. ड्यूटी पाइंट का मतलब है नं 46, एम.जी.रोड में स्थित आयकर कार्यालय या समय-समय पर सूचित अन्य कोई भी स्थान । माईलेज और समय की गणना सिर्फ ड्यूटी पाइंट से मानी जाएगी यानी रोड माइलेज का गणना मान्य नहीं है
15. गाडी विभिन्न सांवैधानिक कानूनों के वैधिक प्रावधानों के अनुरूप हो । इस संदर्भ में किसी प्रकार की चूक के लिए देय दंड के भुगतान की जिम्मेदारी सेवा पूर्तिकर्ता की होगी । प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान किसी भी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा।
16. करार की अवधि के दौरान सेवा पूर्तिकर्ता द्वारा अपेक्षित कानूनी नियमों या करार के शर्तों के अनुपालन न होने के संदर्भ में करार रद्दद किया जा सकता है । उनको भविष्य में प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निविदा के लिए आवेदन करने योग्य नहीं माना जाएगा ।
17. ड्राइवर को लाग-बुक रखना होगा और उसके आधार पर ही बिलों का भुगतान किया जाएगा । सम्बन्धित कागजातों के साथ हर महीने की 5 तारीख से पहले बिल पेश किया जाना चाहिए । बिल पेश करने की तारीख से 30 से लेकर 60 दिनों के अंदर बिल का भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा ।
18. करार की अवधि के दौरान दरों में बढौतरी का अनुरोध हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे कारण जो भी हो ।
19. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों की माँग पर गाडी उपलब्ध कराना होगा जिसपर समय और दूरी का कोई पाबन्दी न हो ।
20. ड्राइवर का चाल-चलन, गाडी की स्थिति का उपर्युक्त किसी अन्य कारण से प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो वे गाडी को वापस कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए होनेवाला खर्च या रु.1000/- इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा हो उसे दंड के रूप में सेवा पूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा ।
21. <u>यदि सफर के लिए मानी हुई किलोमीटर की दूरी से किसी गाडी द्वारा हुई वास्तविक सफर की दूरी कम पाई गई तो करार की अवधि समाप्त होने तक किसी भी महीने के संदर्भ में उपयोग के लिए शेष किलोमीटर की दूरी को</u>

परवर्ती महीनों के लिए अग्रणीत किया जा सकता है । उपयोग के लिए शेष किलोमीटर का मतलब होगा कि प्रति महीने के लिए मानी हुई 2000 किलोमीटर सफर की दूरी और सेवा पूर्तिकर्ता की प्रत्येक गाडी द्वारा की गई वास्तविक सफर की दूरी में जो अंतर पाया जाता हो ।

22. हफते के सभी दिन गाडी को मात्र प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के उपयोग के लिए रखना होगा । गाडियाँ ड्राइवरों की सुरक्षित अभिरक्षा में होगी और संस्थान के परिसर में ही गाडी को पार्किंग करना होगा। संक्षेप में कहा जाय कि संस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोडकर और किसी भी व्यक्ति द्वारा गाडी का उपयोग न किया जाय ।

23. करार की अवधि के दौरान प्रत्यक्षकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्ववारा इन वाहनों को किसी भी अधिकारी के उपयोग के लिए दिया जा सकता है ।

24. ठेके की अवधि के दौरान यदि सेवा पूर्तिकर्ता किसी भी गाडी या पूरे ठेके को वापस लेना चाहे, एक गाडी का, एक महीने का भाडा दंड के रूप में काट लिया जाएगा । जबकि ठेके की अवधि के दौरान यदि उपर बताये गए शर्तों का कहीं भी उल्लंधन हुआ हो या सेवाओं से संतुष्ट नहीं हों तो प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै का हक बनता है कि वे किसी भी समय ठेका को समाप्त कर सकते है।

25. काम के आधार पर ठेका पारस्परिक करार से एक और साल बढाया जा सकता है ।

इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है की वे अपने निविदा को दिनांक 27/01/2012 तक या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निदेशक का कार्यालय, प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (प्र.क.क्षे.प्र.स.),चेन्नै, नं.46,महात्मा गांधी सालै, चेन्नै 600 034 में पेश करें । वाहन का माडल (आर सी बुक संलग्न करके), महीनेवार अपेक्षित भाडा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्रति किलो मीटर का दर, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए दर आदि का विवरण भी पेश करें. इच्छुक पार्टियाँ यह भी नोट करें कि प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (प्र.क.क्षे.प्र.स.) द्वारा **कोई भी अन्य खर्च उठाया नहीं जाएगा** । आप कृपया इस कारोबार में अपना पूर्व और वर्तमान अनुभव का विवरण, उसकी सबूत और अपने पास उपलब्ध वाहनों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें ।

दिनांक 31/01/2012 को सुबह 11.30 बजे निविदाएँ खोली जाएगी ।

ह/-

(जयंती कृष्णन)

निदेशक

प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै

<u>प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै</u>

<u>नं 46, (पुराना नं 108) एम.जी.रोड, नुंगमबाक्कम, चेन्नै-600 034.</u>

<u>निविदा फार्म</u>

1. प्रोपराइटर का नाम/पंजीकृत फर्म/कम्पनी :
   Name of the Proprietor/Registered Firm/ Company

2. उपरोक्त का पता
   (दूरभाष, फेक्स और ई-मेल सहित) :
   Address of the Concern
   (with Tel.No., Fax & e-mail)

3 कम्पनी/फर्म के मामले में भागीदार/निदेशकों :
   का नाम और पता(मोबाइल नं सहित)
   Name & address of the Partners/Directors
   (with mobile no.) in case of company/firm

4. गाडियॉ का प्रबंध करने में कितने वर्षों का अनुभव :
   No. of years of experience in providing Vehicles

5. ग्राहकों की सूची / List of clientele
   (क) ग्रहकों के संपर्क नं, नाम व पता के साथ :
   जिनको गाडी भाडे पर दिए गए
   a. Names and addresses of the parties with contact numbers to whom vehicles were given on hire

(ख) भाडे पर दिए गए गाडियों की अवधि :

b. Period for which the vehicles were hired out (ग) भाडे पर दिए गए गाडियों की संख्या :

Number of vehicles given on hire

6. स्थाई लेखा संख्या / Permanent Account Number :

7. सेवा कर पंजीकरण संख्या : Service Tax Registration Number

दिनांक 26/01/2012 तक सुबह 10 बजे से शाम 5.00 बजे तक निविदा फार्म नया नं 46, उत्तमर गाँधी सालै, चेन्नै- 600 034 मे स्थित नया आयकर भवन, I मंजिल, प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै से प्राप्त किया जा सकता है ।

TENDER FORMS MAY BE OBTAINED FROM DTRTI, CHENNAI AT I FLOOR, NEW INCOME TAX BUILDING, NEW NO.46, UTHAMAR GANDHI SALAI, CHENNAI-600 034, BETWEEN 10 AM AND 5 PM TILL 26/01/12

8. ड्राईवरों का ड्राईविंग लाइसेंस और बेज नम्बर :
Driving license number and Badge number of the drivers

9. ई.एम.डी का विवरण(रू.10,000/-) : Details of EMD(Rs.10,000/-)

10. दरें / Rates :

गाडी का विवरण Description of vehicle	मोडल Make	निर्माण वर्ष Year of Manufacture	2000 कि. और 300 धंटे का मासिक भाडे का दर Monthly hire charges for 2000 Km and 300 Hours	2000 कि. से अतिरिक्त प्रति किलोमीटर दर Rate per extra Km in excess of 2000 Kms	300 धंटे से अतिरिक्त प्रति धंटे का दर Rate per extra hour beyond 300 Hours

घोषणा/Declaration:

मै यह घोषित करता हूँ कि, जहाँ तक मुझे/हमें ज्ञात है, उपरोक्त सूचना पूरी और सही है । मै यह समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर उपरोक्त विवरण मे कोई विचलन का पता चले तो कम्पनी/फर्म/ मुझे काली सूची मे डाला जाएगा और भविष्य मे विभाग के साथ कोई लेना – देना नहीं होगा ।

I hereby certify that the information furnished above is full and correct to the best of my/our knowledge. I understand that in case any deviation is found in the above statement at any stage, the company/firm/I will be blacklisted and will not have any dealing with department in future.

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर तारीख सहित)

(Signature of authorized signatory with date)

दिनांक 27/01/2012 तक सुबह 10 बजे से शाम 5.00 बजे तक निविदा फार्म नया नं 46, उत्तमर गाँधी सालै, चेन्नै- 600 034 मे स्थित नया आयकर भवन, I मंजिल, प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै से प्राप्त किया जा सकता है ।

TENDER FORMS MAY BE OBTAINED FROM DTRTI, CHENNAI AT I FLOOR, NEW INCOME TAX BUILDING, NEW NO.46, UTHAMAR GANDHI SALAI, CHENNAI-600 034, BETWEEN 10 AM AND 5 PM TILL 27/01/12